बैंक से जारी होने वाले कार्ड

मैसूर में 11-13 मार्च 2006 ई0 को आयोजित पन्द्रहवें सेमिनार में बैंक से जारी होने वाले विभिन्न कार्डों के बारे में शरई दृष्टिकोण से चर्चा की गयी। इस सिलसिले में इस आधार पर ग़ौर किया गया कि कार्ड सेवाओं के वे कौन से रूप हैं जिनमें सूद (ब्याज) नहीं पाया जाता। ग़ौर व चिंतन के बाद निम्न बिन्दुओं की घोषणा की गयी।

1- एटीएम कार्ड के इस्तेमाल में शरीअत की नज़र से कोई बुराई नहीं है।

2- डेबिट कार्ड के ज़रिए ख़रीद व फ़रोख़्त और एक खाते से दूसरे खाते में रक़म स्थानान्तरित करना जायज़ और दुरुस्त है।

3- एटीएम और डेबिट कार्ड प्राप्त करने और इस्तेमाल करने के लिए जो अतिरिक्त पैसे दिए जाते है। वह कार्ड का मुआवज़ा और सर्विस चार्ज है, इस लिए उसका अदा करना जायज़ है।

4- क्रेडिट कार्ड चूंकि सूद के आधार पर क़र्ज़ लेने व देने का एक माध्यम है इस लिए उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है।

☆☆☆